20/2/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं प्रार्थी स्वयं को बार-बार आवाज दिलवाई गई लेकिन न्यायालय समक्ष उपस्थित नहीं आये। अतः आदेश पत्र अध्याय 212 RT नियम 5 के प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर कार्यवाही अभिलेख दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 20/2/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6

सहायक कलेक्टर (मु.) बीकानेर

Scanned with CamScanner